F. No. U-11030/8/74-UTL

रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 1975/माघ 26, 1896

No. 71] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 1975/MAGHA 26, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February 1975

S.O. No. 100(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 3159 dated the 19th October, 1960, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers of the Central Government under sub-sections (1) and (2) of section 31 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957).

[No. U-11030/8/74-UTL]

K. R. PRABHU, Addl. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1975

का० आ० 100(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3159 तारीख 19 अक्तूबर, 1966 का आंशिक उपान्तर करते हुए, निदेश देते हैं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, राष्ट्रपति के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 31 की उपधारा (1) और (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेगा ।

[सं० यू०-11030/8/74-यू०टी एल०]

के० आर० प्रभु, अपर सचिव।